

90

35

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण

पत्रांक : 99/प्र0370-भवन/जोन-2/2013-14 दिनांक 31/10/2013

अनुमति-पत्र


यह अनुमति जाग्रो नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 व 15 के अन्तर्गत दी जाती है, किन्तु अर्थ यह न समझना चाहिये कि उस भूमि के सम्बन्ध में जिले पर प्रस्तावित व्यवसायिक/आवासीय भवन मानचित्र स्वीकृत किया जा चुका है, इससे किसी प्रकार के किसी स्थानोंग केलाय या इस्का स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मलिकाना अधिकारों पर किसी का कोई अंतर पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के मलिकाना या स्वामित्व के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।

श्रीमती ज्ञानमती श्रीवास्तव पत्नी स्व0 गौरी शंकर श्रीवास्तव व श्री जय प्रकाश श्रीवास्तव द्वारा मकान नं0-145/213 रोशन बाग, इलाहाबाद जोन संख्या (2) के अन्तर्गत व्यवसायिक/आवासीय भवन निर्माण की अनुमति हेतु दाखिल भवन मानचित्र के प्रस्तावित भाग पर निर्माण की अनुमति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है :-


1. जाग्रो नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 व 15 के अन्तर्गत दी गयी अनुमति के अन्तर्गत ही भवन निर्माण एवं विकास उपरिष्ठित 2008 के उपरिष्ठित संख्या-2.1.8 एवं 3.1.8 में निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।
2. यह स्वीकृति अस्थायी (Provisional) स्वीकृति के रूप में होगी निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त सभी आवश्यक Mandatory Clearances/N.O.C की शर्तें पूर्ण करने के पश्चात्, निर्मित किये जाने वाले पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के बाद ही इस परिसर को तात्कालिक उपयोग में लाया जा सकेगा।
3. स्थल पर 4X3 फीट का एक बोर्ड लगाकर स्वीकृति सम्बन्धी विवरण अंकित करना होगा।
4. स्थल पर 02 अक्षर पृष्ठ लगाने होंगे तथा नूबों को हर-गरेा रखने का दायित्व आवेदक का है।
5. भवन का अधिनियम/उपयोग स्वीकृत प्रस्तुत भाग के अनुसार ही करना होगा, जिसे मूल्य पर शान, प्रमाण एवं द्वितीय तल पर आवासीय निर्माण अनुमत्य किया जा रहा है।
6. प्राधिकरण द्वारा निर्माण न मान्यता पत्रांक 228, 227/र.प.स/प्र0370-जाग्रो/विन0.0/2013-14 दिनांक 03.10.2013 में उचित प्रतिबन्धों का अक्षरशः अनुपालन करना होगा।
7. पूर्ण निर्मित बांधों को दुशाल इन्जिनियर की देख रेख में ध्वस्त करना होगा, जिससे जन-धन की हानि न होने पाये।
8. माननीय न्यायालय में कोई याच होने अथवा उत्पन्न होने की स्थिति में प्रदत्त स्वीकृति माननीय न्यायालय के निर्णय के अधीन होगी, स्वामित्व सम्बन्धी किसी भी विवाद पर मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
9. यदि आवेदक द्वारा कोई महत्वपूर्ण सूचना छिपनी गयी है अथवा गलत सूचना दी गयी है तो जाग्रो नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 (f) के अन्तर्गत मानचित्र निरस्त करने योग्य होगा।
10. यह स्वीकृत पत्र केवल जीय वर्ष की अवधि के लिए है।
11. नजूल निर्माण से बचे वाली के रकम की पट्टी अथवा सड़क या नाली के किसी भाग (जो भवन के बाहर भाग, पुल भाग अथवा उसके आकार के कारण ढक गई हो) को हानि पहुँचे तो गृहस्वामी दायर हो जाने पर 15 दिन के भीतर अथवा यदि विकार प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना द्वारा और शीघ्र कहा तब पहले उसे उसी अपने खर्च से मरम्मत कराकर पूर्ववत् अवस्था जिससे विकास प्राधिकरण को सन्तोष हो जाय, में कर देगा।
12. गृह निर्माण के समय इस्का भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1956 (हाईकवन्ट इलेक्ट्रिसिटी अक्ट 1956) नियम 82 का उल्लंघन किसी भी दशा में न होगा चाहिए। यदि विकास प्राधिकरण को जानकारी में ऐसे मामले पाये गये तो वह ऐसे निर्माण को रोक अथवा हटाना सकेगा है।
13. आवेदक को नियमनुसार नजूल प्राधिकरण को मकान की नई तक तथा मूल्य का 1% बन जाने एवं उसके पूर्ण हो जाने की सूचना नजूल आबाद होने से पूर्व देना होगा तथा उस आदमी का नाम भी देना होगा फिर के निरीक्षण में नजूल निर्माण हुआ है।
14. यदि निर्माण में गारटर प्लान का उल्लंघन होता पाया गया तो निर्माणकर्ता को दो नई स्वीकृति एवं समझी जायेगी और किया गया निर्माण अनधिकृत घोषित कर उक्त अधिनियम की धारा 27 (1) के अन्तर्गत कार्यवाही आरम्भ की जायेगी।

रमेश चन्द्र शर्मा
नगर प्रशासक
31/10/13


के.के. सिंह
प्रमाण अधिकारी (एन.ए.ओ-2)
इलाहाबाद विकास प्राधिकरण,
इलाहाबाद




GROUND FLOOR PLAN



FIRST FLOOR PLAN




2ND FLOOR PLAN




TERRACE PLAN


श्री गणेशाय नमः
 19/11/13
 20/11/13
 21/11/13
 22/11/13
 23/11/13
 24/11/13
 25/11/13
 26/11/13
 27/11/13
 28/11/13
 29/11/13
 30/11/13
 01/12/13
 02/12/13
 03/12/13
 04/12/13
 05/12/13
 06/12/13
 07/12/13
 08/12/13
 09/12/13
 10/12/13
 11/12/13
 12/12/13
 13/12/13
 14/12/13
 15/12/13
 16/12/13
 17/12/13
 18/12/13
 19/12/13
 20/12/13
 21/12/13
 22/12/13
 23/12/13
 24/12/13
 25/12/13
 26/12/13
 27/12/13
 28/12/13
 29/12/13
 30/12/13
 31/12/13




SECTION AB



KEY PLAN



SITE PLAN



ELEVATION (NORTH SIDE)



ELEVATION (WEST SIDE)



FOUNDATION PLAN

DOOR	AREA	DETAIL	sqm	%
1	TOTAL AREA (18x)		55.50	
2	PROPOSED COVD. ON GROUND FLOOR		64.35	115%
3	PROPOSED COVD. ON FIRST FLOOR		60.25	108%
4	PROPOSED COVD. ON 2ND FLOOR		61.95	111%
5	OPEN AREA		9.00	16%
6	UTILITY AREA		10.20	18%
7	TOTAL COVERED AREA		186.75	336%
8	TOTAL FLOOR AREA		186.75	336%

PROPOSED COMMERCIAL RESIDENTIAL BUILDING PLAN ON
 HOUSE NO-145/23, OF PLOT NO-LII OF ROSHAN KHAN KA
 BAGH, HOUSING SCHE ME, ROSHAN BAGH, ALLAHABAD
 OWNER- SMT. GYANMATI SRIVASTAVA W/O LATE. GANU SRIVASTAVA
 SRI J.P. SRIVASTAVA S/O LATE. BABU SHARAN SRIVASTAVA

36 OF 60/6
 19/11/13
 20/11/13
 21/11/13
 22/11/13
 23/11/13
 24/11/13
 25/11/13
 26/11/13
 27/11/13
 28/11/13
 29/11/13
 30/11/13
 01/12/13
 02/12/13
 03/12/13
 04/12/13
 05/12/13
 06/12/13
 07/12/13
 08/12/13
 09/12/13
 10/12/13
 11/12/13
 12/12/13
 13/12/13
 14/12/13
 15/12/13
 16/12/13
 17/12/13
 18/12/13
 19/12/13
 20/12/13
 21/12/13
 22/12/13
 23/12/13
 24/12/13
 25/12/13
 26/12/13
 27/12/13
 28/12/13
 29/12/13
 30/12/13
 31/12/13